विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम, दुर्ग
दुर्ग क्षेत्रीय कार्यालय, रायपुर नाका दुर्ग–491001

क्र-108 दि. 08/05/2026

प्रकरण क्रमांक CGRF/DURG/2026/35
दिनांक 23.04.2026

श्रीमती निलु थापा
जवाहर नगर, दुर्ग
बी.पी. नं. **1008027465**,
मो नं. **9098340702**

आवेदक

विरूद्ध

1. कार्यपालन अभियंता (नगर) संभाग
   छ.स्टे.पॉ.डि.कं.लिमि., दुर्ग

2. सहायक अभियंता जवाहर नगर जोन
   छ.स्टे.पॉ.डि.कं.लिमि., दुर्ग

अनावेदकगण

विषय :– उपभोक्ता के परिसर में स्थापित सोलर प्लांट से उत्पादित सोलर यूनिट का बिजली बिल में समायोजन नहीं होने के संबंध में।

आदेश

(आज दिनांक 08.05.2026 को पारित किया गया)

1. विवाद का संक्षिप्त विवरण

आवेदिका द्वारा प्रस्तुत परिवाद में यह शिकायत की गई कि उनके परिसर में स्थापित रूफटॉप सोलर प्लांट से उत्पादित विद्युत (Export Units) का समायोजन विद्युत देयक में नहीं किया जा रहा है।

प्रकरण की प्रथम सुनवाई दिनांक 06.05.2026 को हुई। सुनवाई के समय आवेदिका अनुपस्थित रहीं तथा अनावेदकगण की ओर से सहायक अभियंता, जवाहर नगर जोन उपस्थित हुए।

अनावेदक द्वारा प्रस्तुत कथन के अनुसार आवेदिका के परिसर में दिनांक 03.04.2026 को नेट मीटर स्थापित किया गया तथा दिनांक 04.04.2026 को स्मार्ट मीटर प्रदाता एजेंसी

मेसर्स जीनस द्वारा एम.आई. (Meter Integration) पूर्ण किए जाने के पश्चात प्रकाश ऐप एवं मोर बिजली ऐप में Import एवं Export रीडिंग प्रदर्शित होना प्रारंभ हुआ।

अनावेदक ने स्पष्ट किया कि जिस बिल के संबंध में शिकायत की गई थी वह मार्च 2026 (01.03.2026 से 31.03.2026) की बिलिंग अवधि का था, जबकि सोलर नेट मीटरिंग व्यवस्था 03.04.2026 से प्रभावी हुई। अतः मार्च 2026 के बिल में सोलर ऊर्जा का समायोजन किया जाना संभव नहीं था।

फोरम द्वारा अनावेदक को अप्रैल 2026 का संशोधित बिल प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया। अनुपालन में अनावेदक ने दिनांक 08.05.2026 को अप्रैल 2026 का बिल प्रस्तुत किया, जिसमें निम्न विवरण अंकित था।

Import Unit रू 229

Export Unit रू 312

Net Unit रू (–) 83

सोलर ऊर्जा समायोजन (Solar Credit) रू ₹1,126.46 (–)

हाफ बिजली योजना की छूट रू ₹465.00 (–)

अंतिम देय राशि रू ₹(–) 313.31

अनावेदक ने यह भी अवगत कराया कि सोलर उपभोक्ताओं के बिल प्रत्येक माह 20 तारीख के पश्चात जनरेट किए जाते हैं तथा उपभोक्ता को मोर बिजली ऐप के माध्यम से उपलब्ध हो जाते हैं।

आवेदिका द्वारा उपरोक्त कथन एवं विद्युत बिल पर अपनी संतुष्टि व्यक्त की गई है

2. फोरम का निष्कर्ष

फोरम द्वारा अभिलेखों एवं कथनों का परीक्षण करने पर यह पाया गया कि

सोलर नेट मीटर दिनांक 03.04.2026 को स्थापित हुआ, अतः उससे पूर्व की बिलिंग अवधि अर्थात मार्च 2026 के बिल में सोलर यूनिट का समायोजन अपेक्षित नहीं था।

अप्रैल 2026 के बिल में नेट मीटर की Import एवं Export रीडिंग के आधार पर नियमानुसार सोलर ऊर्जा का समायोजन कर दिया गया है।

आवेदिका ने भी उक्त समायोजन पर संतोष व्यक्त किया है तथा इस प्रकरण का निराकरण हो चुका है।

अतः फोरम का मत है कि आवेदिका की शिकायत का निराकरण अनावेदक द्वारा कर दिया गया है तथा प्रकरण में किसी अन्य राहत की आवश्यकता नहीं है।

3. आदेश

1.आवेदिका की शिकायत का निराकरण हो जाने के कारण प्रकरण का निस्तारण किया जाता है।

2.अनावेदक यह सुनिश्चित करेंगे कि भविष्य में आवेदिका के सोलर कनेक्शन के सभी मासिक बिल नेट मीटर की वास्तविक Import एवं Export रीडिंग के आधार पर प्रचलित नियमों एवं विनियमों के अनुसार तैयार किए जाएँ।

यदि भविष्य में सोलर यूनिट के समायोजन अथवा बिलिंग में कोई त्रुटि पाई जाती है, तो उसका समयबद्ध निराकरण नियमानुसार किया जाएगा।

3.उपरोक्त आदेश फोरम द्वारा विधिवत पारित किया जाता है।

4. प्रकरण फोरम के समक्ष प्रस्तुत तथ्यों एवं प्रतिवेदनों के आधार पर निराकृत।

5. यदि शिकायतकर्ता/आवेदक फोरम द्वारा पारित उक्त आदेष से असंतुष्ट हो तो माननीय विद्युत लोकपाल रायपुर के समक्ष इस आदेश की प्राप्ति की तिथि से 45 दिनों के भीतर अपील दायर कर सकता है।

(ममता कश्यप)
सदस्य
विद्युत उपभोक्ता शिकायत
निवारण फोरम दुर्ग

(पी.व्ही. सजीव)
अध्यक्ष
विद्युत उपभोक्ता शिकायत
निवारण फोरम दुर्ग